न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/101/2019	01–10–2019	09–02–2021

01–राजकुमार पुत्र रघुवर ब्राहमण निवासी दौसोद तहसील नीमराणा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नीमराना तहसील व जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना दिनांक 11–09–2017 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 05/17

उपस्थितः–

01. श्री अशोक कुमार जानवाल –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 11–09–2017 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम दौसोद तहसील नीमराना के आराजी खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी–1 पर से बेदखल करने एवं 41/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.09 किस्म बारानी–1 वाके ग्राम दौसोद आराजी से अपीलान्ट का कोई वास्ता नहीं है और ना ही मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। तहत अदालत द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सम्वत् 2073 में मौके से बेदखल किया जा चुका था बेदखल करने के उपरान्त अपीलान्ट को पुनः अतिक्रमी मानकर तीन माह की सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिऐ बिना नोटिस दिऐ आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है और ना ही मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई लेना–देना संबंध सरोकार नहीं है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है, क्योकिं पूर्व में अपीलान्ट को ना तो बेदखल किया गया है, ना ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्षय है। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्षय, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए ही मनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी जॉच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही

जिला कलक्टर, अलवर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल में ही को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 23–10–2017 को प्राप्त हुई। अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी बजंड की है। किस्म बारानी–1 पर अतिक्रमण नहीं हो सकते। अपीलान्ट ने मौके पर अवैद्य रूप से बारानी–1 की भूमि पर कपास की खेती कर रखी है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरूद्ध दिनांक 25–1–2017 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण/कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का ने खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये तहत अदालत को रिपोर्ट पेश की है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य पेश करने का मौका नही दिया गया। अपीलान्ट को बिना सुनने अपीलीय आदेश पारित करना विधिक अनुरूप उचित नहीं समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 11–09–2017 को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमाराना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जॉच कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर